

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रतिदि	वि०वि०
1.	2	3.	4.			
1	44	569	0.2182	5. मूल ही श्रीमान की सेवा में पेश कर निर्धारित कि चर्चामाग बाबत डेकड अनुसार ख.ग. 570, 569 की खाताकारी बाबतव जमा देय के खाताकार जोषणमाग पुन देना, दलीलपुन देना बाबत पुन सेवा जोष खाताकार बाबतव के नाम दर्ज है, श्रीमान जी राजस्व डेकड के अभाव में श्रीमान के समय ख.ग. 570 एवं 569 शुद्धि कराने के नमों में डेकड में अर्थात् वर्तमान शुद्धि के नमों में ख.ग. 570, 569 की अवस्थिति में से शुद्धि है, ख.ग. 570, 569 के नमों में एवं ख.ग. 569, 570 के नमों में देना हुआ है, जो शुद्धि है।	6. प्रस्तावित शुद्धि के अनुसार ख.ग. 570 को 569 के स्थान पर एवं ख.ग. 569 को 570 के स्थान पर कर वर्तमान शुद्धि में दर्ज करवाकर वर्तमान शुद्धि कर शुद्ध किया जाना स्वीकृत है। 1) वर्चामाग अ-न्या 2) डेकड न-न्या 3) प-न्या	14/1/2026
						7.
<p>मुताबिक मिसल / जमाबन्दी संवत् 2036 (वर्ष 2019) व (खाता) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा श्रीमान के समक्ष श्रवण योग्य है।</p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>	<p>प०हल्का..... शुद्धिपत्र (अ) रिपोर्ट के उपरोक्तानुसार मिलावट के आधार पर प्रकरण शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण अन्तर्गत साबिक अधिकारी का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।</p>	<p>प०हल्का..... शुद्धिपत्र (अ) राजस्व अधिकारी ARD की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबन्दी में अमल किया जाये।</p>

राजस्थान भू-राजस्व अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

8/1/2026

उपखण्ड अधिकारी
अलवर